रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 214] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 1978/कार्तिक 17, 1900
No. 214] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 1978/KARTIKA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर 1978

सं० ए 4(13)-डब्ल्यू० एण्ड एम० /78—6 प्रतिशत ऋण, 1989, 6½ प्रतिशत ऋण, 1996 (दूसरा निर्गम) और 6½ प्रतिशत ऋण, 2007 के लिए 22 नवम्बर, 1978 से अभिदान स्वीकार किए जाएंगे। अभिदान नकदी में या भारत सरकार के 5½ प्रतिशत ऋण, 1978 की प्रतिभूतियों के रूप में स्वीकार किये जायेंगे। जैसे ही यह विदित होगा कि नकदी और परिवर्तन राशि के रूप म प्राप्त कुल अभिदान राशि अनुमानत: 400 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) तक पहुंच गयी है, बिना सूचना दिये, किन्तु किसी भी दशा में 24 नवम्बर 1978 को कारोबार समाप्त होने से पूर्व, इन निर्गमों को बंद कर दिया जायगा। सरकार को 400 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत तक अभिदानों को रख लेने का अधिकार है।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अभिदान राशि 440 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) से अधिक हो तो नकदी में अभिदान करने वालों को आंशिक आबंटन किया जायगा। यदि नकदी में प्राप्त अभिदानों के संबंध में आबंटन किया जाता है तो आबंटन के बाद यथाशीघ्र अनुपातिक राशि लौटा दी जाएगी। इस प्रकार लौटायी गई राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जायगा।

3. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 22 नवम्बर 1879 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6 प्रतिशत ऋण, 1989—

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 22 नवम्बर 1989 को सममूल्य पर वापस अदा किया जायगा।

(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 22 नवम्बर 1978 से वार्षिक 6 प्रतिशत होगी। प्रत्येक छमाही में 22 मई, और 22 नवम्बर को ब्याज अदा किया जायगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये गये अनुच्छेद 8 और 9 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा।

4. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 1 दिसम्बर 1996 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6½ प्रतिशत ऋण, 1996 (दूसरा निर्गम)।

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 1 दिसंबर 1977 को सममूल्य पर वापस अदा किया जायगा।

(2) निर्गम मूल्यों—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज-दर 22 नवम्बर 1978 से वार्षिक 6½ प्रतिशत होगी। 22 नवम्बर 1978 से 30 नवम्बर (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि का ब्याज 1 दिसम्बर 1978 को अदा किया जायगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 1 जून और 1 दिसम्बर को ब्याज अदा किया जायगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा।

5. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 22 नवम्बर 2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6¼ प्रतिशत ऋण, 2007 —

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 22 नवम्बर 2007 को सम-मूल्य पर वापस अदा किया जायगा।

(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 22 नवम्बर 1978 से वार्षिक 6¼ प्रतिशत होगी। प्रत्येक छमाही में 22 मई और 22 नवम्बर को ब्याज अदा किया जायगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कर लगेगा।

परिवर्तन की शर्तें

6. 5½ प्रतिशत ऋण, 1978 की प्रतिभूतियों को सममूल्य पर नए ऋणों में परिवर्तन करने के लिये स्वीकार किया जायगा। परिवर्तन के लिये प्रस्तुत की गई 5½ प्रतिशत ऋण, 1978 की प्रतिभूतियों पर वार्षिक 5½ प्रतिशत की दर पर 21 नवम्बर 1978 तक (उस तारीख को भी मिलाकर) नयी प्रतिभूतियां जारी करते समय ब्याज अदा किया जायगा।

पूरक व्यवस्थाएं

7. ब्याज अदा करने का स्थान—इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित लोक ऋण कार्यालयों, भारत में जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर अन्यत्र किसी राज कोष या उप-राजकोष में जम्मू तथा श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार वेतन और लेखा कार्यालयों में ब्याज अदा किया जायगा।

8. ब्याज अदा करते समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) काटे गये कर की वापसी अदायगी उस ऋण धारक को प्राप्त होगी जो कर-पात्र नहीं हैं या जिन पर ऐसी दरों पर कर लागू होता है जो काटे गये कर की दर से कम हों।

जो धारक कर-पात्र नहीं है या निर्धारित दर से कम दर पर कर-पात्र है वह जिले के आय कर अधिकारी को आवेदन कर उनसे एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या धारक पर लागू होनेवाली न्यूनतर दर पर की कटौती कर उसे ब्याज अदा किया जायगा।

9. अब जारी किये जाने वाले ऋणों पर और इससे पहले की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से मिलने वाली आय को वार्षिक 3,000 रुपयों की सीमा तक और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठ के अन्य उपबन्धों के अधीन आयकर से छूट प्राप्त होगी।

10. अब जारी किये जाने वाले ऋणों में किये जाने वाले निवेशों के मूल्य, इसके पहले सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये अन्य निवेशों और सम्पत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के मूल्य को भी 1,50,000 रुपयों की सीमा तक सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त होगी।

11. प्रतिभूतियां निम्नलिखित रूप में जारी की जायंगी :

(1) स्टाक, इसके आवेदकों को स्टाक प्रमाणपत्र दिये जाएंगे, या

(2) वचनपत्र

यदि आवेदक इनमें से किसी का उल्लेख न करें तो उसे वचनपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।

12. ऋणों के लिये आवेदन पत्र —ऋणों के लिये आवेदन पत्र रु० 100 या उसके गुणजों के लिये होना चाहिए।

13. आवेदन पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किये जाएंगे —

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, बंबई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली और पटना में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय; और

(ख) उपर्युक्त (क) में दिये गये स्थानों को छोड़कर भारत में अन्य स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

14. आवेदन पत्र इसके साथ संलग्न फार्म या किसी ऐसे दूसरे फार्म में होना चाहिए जिसमें अपेक्षित प्रतिभूतियों की राशि और विवरण, आवेदक के पूरे नाम और पते तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जहां आवेदक ब्याज की अदायगी की अपेक्षा करता हो।

15. आवेदक पत्रों के साथ आवश्यक राशि नकदी या चेक या परिवर्तन के लिये स्वीकार्य ऋण की प्रतिभूतियों की रूप में प्रेषित की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले चेक संबंधित बैंक के नाम आहरित किये जाने चाहिए।

परिवर्तन के लिए प्रस्तुत प्रतिभूतियों के संबंध में उसके धारक को चाहिए कि वह —

(1) स्टाक प्रमाणपत्रों के मामले में, प्रमाणपत्र के पिछे दिये गये अंतरण विलेख के फार्म पर किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर कर,

(2) वचनपत्रों के मामले में, उन्हें निम्न प्रकार पृष्ठांकित कर; "भारत के राष्ट्रपति को अदा करेंने"

उन्हें सरकार को अंतरित कर दें।

16. स्वीकृत बैंकों और दलालों को उनके द्वारा प्रस्तुत और उनकी मोहर युक्त ऋण आवेदन पत्रों पर किये गये आबंटनों पर प्रति रु० 100 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जायगी।

दलाली की अदायगी के लिये यथा ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीने के भीतर आदायगी कार्यालयों में पेश किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के आदेश से,
के० एन० राव, संयुक्त सचिव।

आवेदन-पत्र का फार्म

मैं/हम.....इसके साथ .....रुपये
(पूरा/पूरे नाम) बड़े अक्षरों में)

नकदी* में.....रुपयों के लिए चैक*, रु०.....के सांकेतिक मूल्य के भारत सरकार के 5½ प्रतिशत ऋण, 1978 की प्रतिभूतियां* प्रस्तुत करता हूं/करते हैं और यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें वचनपत्र (पत्रों)—

———— के रूप में.....रुपयों के सांके।।।।।तक मूल्य के स्टाक प्रमाणपत्र

प्रतिशत ऋण, 1989./6—प्रतिशत ऋण, 1996* (दूसरा निर्गम)/6½ प्रतिशत ऋण 2007. की प्रतिभूतियां जारी की जाए और उनका ब्याज.....में देय हो।

विशेष टिप्पणी : इस खाने में आवेदक कुछ न लिखें। सारी प्रविष्टियां लोक ऋण कार्यालय द्वारा की जाएगी।		
	छोटे हस्ताक्षर	दिनांक
आवेदन पत्र सं०		
'दलाली नहीं' मुहर		
प्राप्त नकदी		
चैक वसूल हुआ		
विशेष चालू खाते में जमा किया गया		
जांच की गयी		
नकदी आवेदन-पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया गया		
दलाली रजिस्टर में दर्ज किया गया		
मांग पत्र सं०		
प्रतिभूति सं०		
कार्ड सं०		
.....को वाऊचर पारित किया गया		

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम (बड़े अक्षरों में).....

.....

पता .....

.....

दिनांक.....नवम्बर, 1978

टिप्पणी : (1) परिवर्तन के लिए प्रस्तुत प्रतिभूतियां यदि वचनपत्रों के रूप में हों तो उन्हें आवेदक के हस्ताक्षरों सहित इन शब्दों के साथ पृष्ठांकित किया जाए, "भारत के राष्ट्रपति को अर्पण करें" और यदि स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में हों तो पीछे के अन्तरण विलेख पर आवेदक किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर करे।

(2) प्रत्येक ऋण, अभिदान के प्रत्येक प्रकार और अपेक्षित नये ऋण की प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति (स्टाक प्रमाणपत्र या वचनपत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाए।

(3) यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हों तो दो व्यक्ति उसके साक्षी हों। साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाएं।

(4) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाए तो निवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, यदि वे लोक ऋण कार्यालय में पहले ही पंजीकृत न किये गये हों तो, संलग्न किये जाएं :

(i) पंजीकरण/निगमन का मूल प्रमाणपत्र या कार्यालय के मुद्रांक के साथ जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ii) संघ का ज्ञापनपत्र और अंतर्नियम या निकाय/कम्पनी के नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(iii) निकाय/कम्पनी की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पक्ष में किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(5) जो आवेदक स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें छमाही ब्याज के प्रेषण के लिए (लोक ऋण कार्यालय में उपलब्ध) प्रावेश फार्म भी भरना चाहिए।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाए।

—रु० 100, रु० 200, रु० 500, रु० 1,000, रु० 5,000, रु० 10,000 रु० 25,000, रु० 50,000 और रु० 1,00,000 के मूल्य वर्गों में वचनपत्र जारी किये जाएंगे। जो मूल्य वर्ग अपेक्षित हो उसका उल्लेख यहां किया जाए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1978

No. F. 4(13)-W&M/78.—Subscriptions for the issues of 6 per cent Loan, 1989, 6-1/4 per cent Loan, 1966 (Second Issue) 6-3/4 per cent Loan, 2007 will be received from the 22nd November, 1978. Subscriptions will be received in the form of cash or of securities of Government of India 5-1/4 per cent Loan, 1978 and the issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions in cash and conversion amount approximately to Rs. 400 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 24th of November 1978. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 400 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 440 crores (Nominal), partial allotment will be made to the subscribers in cash. If partial allotment is made in respect of subscriptions received in cash, a proportionate refund will be made as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amount so refunded.

3. 6 per cent Loan, 1989 issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 22nd November 1989.

(i) Date of repayment.—The Loan will be repaid at par on the 22nd November 1989.

(ii) Issue Price.—The Issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest.—The loan will bear interest at the rate of 6 per cent annum from 22nd November 1978. Interest will be paid half yearly on the 22nd May and 22nd November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-Tax Act, 1961.

4. 6-1/4 per cent Loan, 1996 (Second Issue) issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 1st December 1996.

(i) Date of repayment.—The Loan will be repaid at par on the 1st of December, 1966.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 6-1/4 per cent per annum from 22nd November 1978. Interest for the period 22nd November 1978 to 30th November 1978 inclusive will be paid on 1st December 1978 and thereafter interest will be paid half yearly on 1st June and 1st December. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-Tax Act. 1961.

5. 6-3/4 per cent Loan, 2007 issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 22nd November 2007.

(i) Date of repayment.—The Loan will be repaid at par on the 22nd November 2007.

(ii) Issue price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 6-3/4 per cent per annum from 22nd November 1978. Interest will be paid half yearly on 22nd May and 22nd November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 8 and 9 below, be liable to tax under the Income-Tax Act, 1961.

CONVERSION TERMS

6. The securities of the 5-1/4 per cent Loan, 1978 will be accepted for conversion into the new loans at par. Interest on the securities of 5-1/4 per cent Loan, 1978 tendered for conversion will be paid at the rate of 5-1/4 per cent per annum upto and inclusive of 21st November 1978 at the time of issue of new securities.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

7. Place of payment of interest.—Interest on the loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur New Delhi and Patna, at any Treasury or Sub-Treasury elsewhere in India except the States of Jammu and Kashmir and Sikkim, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

8. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

9. Interest on all the loans now issued together with interest on other previous Government securities and Income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

10. The value of investments in the loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

11. The securities will be issued in the form of—

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

12. Applications for the loans.—Applications for the loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

13. Applications will be received at—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, and

(b) Branches of the State Bank of India at all places in India except at (a) above.

14. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

15. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or securities of Loan which is acceptable for conversion. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India or the State Bank of India should be drawn in favour of the bank concerned.

The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government—

(i) in the case of Stock Certificates, by signing the form of transfer deed on the reverse of the certificate before a witness.

(ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below :—

"Pay to the President of India".

16. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the paying offices within six months from the date of floatation of the loans.

By order of the President,

K. N. ROW, Jt. Secy.

FORM OF APPLICATION

I/We.....

[Full Name(s) in Block letters]

..... herewith tender *Cash Rs.....*Cheque for Rs.....*Securities of Government of India 5-1/4 per cent Loan, 1978 of the nominal value of Rs.....and request that securities of 6 per cent loan, 1989*/6-1/4 per cent Loan, 1996* (Second Issue)/6-3/4 per cent Loan, 2007* of the nominal value of Rs..... may be issued to me/us in the form of Promissory Note(s) †interest to be payable at.....

Stock Certificate

N.B.—The applicant should not write anything in this cage. The entries will be filled in by the Public Debt Office

	Initials	Date
Application No.....	.....	.....
N.B. Stamp.....	.....	.....
Cash received.....	.....	.....
Cheque realised.....	.....	.....
Credited to Special Current Account	.....	.....
Examined	.....	.....
Cash Applications Register posted..	.....	.....
Brokerage Register posted.....	.....	.....
Indent No.....	.....	.....
Scrip No.....	.....	.....
Card No.....	.....	.....
Voucher passed on.....	.....	.....

Signature .....
Name in full.....
.....
(Block letters)
.....
Address .....
.....
.....
.....
.....

Dated the of November 1978

NOTE :—(1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words "Pay to the President of India" over the signature of the applicant, if they are in the form of Promissory Notes, and the transfer deed on the back should be signed by him before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.

(2) Separate application should be made for each Loan, each form of subscription and each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the new Loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(4) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application :—

(i) Certificate of Registration/Incorporation in original or a copy thereof certified as true by the issuing authority under office seal.

(ii) Certified copies of memorandum and Articles of Association or the Rules and Regulations/Bye-laws of the body/company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

(5) Applicants desiring the issue of scrips in the form of Stock Certificates should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for transmission of half-yearly interest to them.

*Delete what is not required.

†Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denomination required.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978